


# जब वे पंख फैलाना चाहे, तो हम क्यों रोक लगाएं

बाल विवाह कर बच्चों के सपने ना रहने दें अधूरे,  
पढ़ा-लिखा उनके सपनों को हो जाने दें पूरे।





## बाल विवाह एक अपराध-

लड़की की 18 वर्ष व  
लड़के की 21 वर्ष से  
कम उम्र में शादी कराना  
दंडनीय अपराध है।  
बाल विवाह निषेध  
अधिनियम 2006 के  
तहत बच्चे पर कम उम्र  
में शादी के लिए दबाव  
डालने वाला व्यक्ति दंड  
के योग्य है।

## भारत में बाल विवाह से संबंधित आंकड़े-

हमारे देश में लड़कियों  
की 18 वर्ष से कम उम्र में  
शादी होने के आंकड़े 26.8  
प्रतिशत और

लड़कों की 21 वर्ष की  
उम्र में शादी होने की  
संख्या 20.3 प्रतिशत  
आंकी गई है।



(स्रोत: एन.एफ.एच.एस.-4, 2015-16)

## अपराध के प्रकार

- कम उम्र में शादी कराने के लिए प्रोत्साहन देना या उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करना है।
- कम उम्र में हो रही शादी को रोकने में मदद नहीं करता है।
- हो रहे बाल विवाह में शामिल होता है।

## अपराधी कौन

- कोई भी व्यक्ति या संगठन या शादी में सम्मिलित व्यक्ति
- माता-पिता
- अभिभावक

## जेल की सजा

- 2 साल तक जेल

## आर्थिक दंड

- 1 लाख तक का जुर्माना

## आप क्या कर सकते हैं

आप भी अपने आस-पास हो रहे बाल विवाह को रोक कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और अपने नज़दीकी निम्न जगहों पर शिकायत दर्ज कराएं-

- स्थानीय पुलिस स्टेशन
- बाल विवाह निषेध अधिकारी
- जिला बाल संरक्षण इकाई